लोक सुनवाई का वृत

मेसर्स सियाराम बिल्डर और इंजीनियरिंग प्रा0 लि0, मे0 रास इन्टरप्राईजेज प्रा0 लि0 द्वारा गया जिला के **अंचल–खिजरसराय के गया फल्गु–02 बालू घाट** एवं 03 बालू घाट, ग्राम– पंचरूखाई, फतेहपुर, फल्गु नदी का कलस्टर क्षेत्रफल–161.60 हेक्टेयर पर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक– **22.09.2020** को अपराह्न 02.30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, खिजरसराय, जिला–गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/1161/2020, दिनांक–24.07.2020 एवं टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/1035/2020, दिनांक–21.07.2020 के आलोक में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाईम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक– **22.08.2020** द्वारा प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान **श्री ए. के. गुप्ता**, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंण पर्षद, पटना द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बालू उत्खनन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली व्यवस्था, सोसल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से बताया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान धूल उड़ने से रोकने के लिए सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नही करेंगे एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाऐंगें। खनन कार्य सतह से 2–3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग, पी.यू.सी. प्रमाणित वाहनों का इस्तेमाल एवं खराब ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा। ढुलाई और निकास मार्ग पर पड़ने वाले परिवहन भार को नियंत्रण रखा जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के तहत परियोजना लागत का 2 प्रतिशत राशि क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जायेगा।

अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। इससे लोगों को रोजगार, सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही विकास कार्य होगा। बालू विकास के लिए एक मुख्य घटक होता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते है। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:–

1. श्री गुड्डु कुमार, पिता–श्री पिन्टु कुमार, ग्राम–धरमपुर, जिला–गया, द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू लदे वाहनों का आवागमन गाँव के बाहर से की जाय तथा बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार देने संबंधित प्रश्न किया गया।

उत्तर– इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव ने बताया कि बालू खनन होने से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से फायदा होगा और वाहनों का आवागमन अधिकांशतः गाँव के बाहर से ही किया जायेगा।

2. श्री मुन्द्रिका सिंह पिता–स्व0 शिवनंदन सिंह, ग्राम–लोदीपुर, जिला–गया द्वारा सुझाव दिया गया कि वृक्षारोपण का कार्य प्रोजेक्ट स्थल पर ही किया जाय।

3. मो0 तौसिफ आलम, पिता–मो0 सकील अहमद, ग्राम–पुलिस लाईन, जिला–गया द्वारा सुझाव दिया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध की जाय। हरेक 4 कि0मी0 में मेडिकल कैम्प की व्यवस्था की जाय। बालू लदे वाहनों का आवागमन के दौरान स्पीड (गति) नियंत्रित रखने संबंधित निदेश दिया जाय।

4. श्री परमानन्द सिंह, पिता–श्री दिनकेश्वर सिंह, ग्राम–इस्माइलपुर, पो0–खिजरसराय, जिला–गया द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन के दौरान धूल–कण नियंत्रण हेतु जल–छिड़काव की व्यवस्था की जाय।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ–ही–साथ विकल्प सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। विकल्प सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने–जाने के समय या भीड़–भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगें एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। बालू की खुदाई 2–3 मी0. ही की जायेगी। उन्होने उम्मीद जतायी कि प्रत्येक इकाई द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंशा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

24.9.20	24.09.20
क्षेत्रीय पदाधिकारी बि0.रा0.प्र0.नि0.पर्षद, गया।	अपर समाहर्ता (वि0जा0) गया

उपस्थिति सूची

मे० सियाराम बिल्डर और इंजीनियरिंग प्रा० लि०, मे० राम इन्टरप्राईजेज प्रा० लि० द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल–खिजरसराय के फल्गु नदी पर घाट–02, फल्गु घाट–03 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, खिजरसराय, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 22.09.2020 के (मंगलवार) को 02:30 बजे अपराह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	संतोष कुमार श्रीवास्तव	अपर समाहर्ता विभाग गया	[signature] 22/9/20
2.	आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाo, गया	बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	आशीष 22-9-20
3.	Shambhu Nath Jha A.E.E	Bihar State Pollution Control Board, Patna	[signature]
4.	Dr. Jatin K. Srivastava Consultant	B-225 Rajaji Puram Lucknow	[signature]
5.	Pravin Kumar Sinha (Consultant)	B/5, flat no.-203 Jakkanpur city, Patna	[signature] 21/9/20
Lessee 6.	Ravindra	Postal Park Chowk Chiraiyatand Patna-1	Ravindra 22/09/20
Lessee 7.	संजीत कुमार	डोरे, मानपुर गया बिहार	संजीत कुमार
8.	पिन्टु सिंह	उमेश सिंह रसलपुर गांव गया	पिन्टु सिंह
9.	मुन्द्रिका सिंह	लोदीपुर	मुन्द्रिका सिंह
10.	परमानन्द सिंह	इसमाईलपुर खिजरसराय	परमानन्द सिंह
11.	नवलकिशोर सिंह / कौशल शर्मा	खिजरसराय कॉलोनी	नवलकिशोर सिंह / कौशल शर्मा
12.	Sahil Kr	Bihar State Purvaya Vikas	Sahil Kr
13.	Avinash Singh	डोरे, मानपुर, गया बिहार	Avinash Singh

15.	Ramlal Kum	Ganga	Ramlal k
16.	संतोष	गया	संतोष
17.	विकाश कुमार	श्रीपुर	विकाश कुमार
18.	राहुल कुमार	पनारी	Rahul kumar
19.	समीर खां	नन्दुविघा	[illegible]
20.	अजित	नन्दुविघा	अजित
21.	राकेश कुमार	जैरे	Rakesh k.
22.	Surajbhan Kumar	जैरे	[illegible]
23.	Chandan Sharma	gaya	[illegible]
24.	Binod Kumar	फतेहपुर	Binod kum
25.	धनजय कुमार	फतेहपुर	धनजय कुमार
26.	गुड्डू	दरामपुर	[illegible]
27.	श्री निवास सिंह	सुलतानपुर	[illegible]
28.	रविरंजन कुमार	सुलतानपुर	[illegible]
29.	रंजीत कुमार सिंह	सुलतानपुर	[illegible]
30.	मो० अमानुल्लाह	कुरीसराय	अमानुल्लाह
31.	उपेन्द्र कुमार	पचमहला	उपेन्द्र कुमार
32.	पंकज कुमार	नौबतपुर	पंकज कुमार
33.	मो० नदीम	दरामपुर	[illegible]
34.	Md Shakir	KURISARA	Md Shakir

35.	मुअरमान	कुरीसराय	मोअरमान
36.	Rupesh Kumar	Kurisarai	Rupesh
37.	मोहन पासवान	पचमहला	Mohanbg
38.	रवीपासवान	नौडीहा	
39.	झुमन	कुरीसराय झुमन	रवीपासवान
40.	माउन	कुरीसराय	माउन
41.	जितेन्द्र सिंह	खिजरसराय	[illegible]
42.	[illegible] शर्मा	[illegible]	[illegible]
43.	बबलु कुमार	खिजर सराय	बबलु कुमार
44.	Sandeep singh	[illegible]	Sandeep sin
45.	कौशलेन्द्र कुमार	खिजरसराय	कौशलेन्द्र कुमार
46.	Krishna Prasad	Keni	Krishna
47.	रामानुज शर्मा	गोहरपुर	R. N. Sharma
48.	[illegible] कुमार	[illegible]	[illegible]
49.	गोविन्द शर्मा	खिजरसराय	Govind [illegible]
50.	धर्मेन्द्र सिंह	[illegible]	[illegible]
51.	मंजय सिंह	गोरे (मानपुर)	M
52.	Golu Kumar	[illegible]	
53.	Sanjay Kumar	Gaya	[illegible]
54.	Kundan Kr.	Kere	Ku

55.	RAUSHAN KUMAR	GERE (MANPUR)	Raushan K.
56.	[illegible]	GERE (Manpur	[illegible]
57.	Dhirendra Singh	Shekhbigha	[illegible]
58.	Puneet Kumar	Hormar distGaya	Puneet Kum
59.	राम पुकार शर्मा	गया	राम पुकार शर्मा
60.	Jitendra kumar	Gaya	Jitendra kumar
61.	पिन्टु कुमार	[illegible]	पिन्टु कुमार
62.	[illegible] कुमार	[illegible]	[illegible]
63.	अनिल कुमार	गया	अनिल कुमार
64.	[illegible] कुमार	गया	[illegible]
65.	निलानन्द शर्मा	बेला	[illegible]
66.	[illegible]	गया [illegible]	[illegible]
67.	धर्मेन्द्र सिंह	[illegible]	धर्मेन्द्र सिंह
68.	[illegible]	गया	[illegible]
69.	निरज कुमार	गया	Neeraj Ku
70.	[illegible] शर्मा	[illegible]	[illegible] शर्मा
71.	अखिलेश सिंह	[illegible] टिकारी	गया
72.			
73.			
74.			